न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 23/18
निर्णय दिनांक: 07.05.2018

1. अनिता चौधरी पुत्री रणजीत चौधरी जाट नि0 निठारवालों की ढाणी बस्सी झाझड़ा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खाता सं0 6, 7, 54, 55 में 1/4 हिस्सें की व खाता सं0 62 व खाता सं0 38 की आराजी वाकै ग्राम बस्सी झाझड़ा प0ह0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो स्व0 रणजीत की छोड़ी हुयी कब्जें, काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में रणजीत के स्वर्गवास के उपरान्त निम्न प्रकार अंकित है कि खाता सं0 6 खं0नं0 290/155 रकबा 14 बीघा "लाड़ादेवी पत्नि रणजीत, सन्नूदेवी पुत्री रणजीत, राकेश पुत्र रणजीत नाबालिक जरिये वली माता लाड़ादेवी पत्नि रणजीत हि0 1/4" तथा खाता सं0 7 खं0नं0 156/2 रकबा 1 बीघा, खं0नं0 261/127 रकबा 2 बीघा, खं0नं0 263/128 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 264/129 रकबा 10 विस्वा, खं0नं0 265/129 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 267/129 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 268/129 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 284/154 रकबा 13 विस्वा, खं0नं0 292/155 रकबा 1 विस्वा, खं0न0 293/155 रकबा 1 विस्वा, किता 12 कुल रकबा 12 बीघा 12 विस्वा "लाड़ादेवी पत्नि रणजीत, सन्नूदेवी पुत्री रणजीत, राकेश पुत्र रणजीत नाबालिक जरिये वली माता लाड़ादेवी पत्नि रणजीत हि0 1/4" तथा खाता सं0 54 खं0नं0 155/3 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 157/2 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 294/156 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 295/156 रकबा 1 बीघा किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 7 विस्वा "लाड़ादेवी पत्नि रणजीत, सन्नूदेवी पुत्री रणजीत, राकेश पुत्र रणजीत नाबालिक जरिये वली माता लाड़ादेवी पत्नि रणजीत हि0 1/4" तथा खाता सं0 55 रकबा 157/1 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा "लाड़ादेवी पत्नि रणजीत, सन्नूदेवी पुत्री रणजीत, राकेश पुत्र रणजीत नाबालिक जरिये वली माता लाड़ादेवी पत्नि रणजीत हि0 1/4" तथा

ड अधिकारी
र लेक

Scanned by CamScanner

खाता सं0 62 खं0नं0 127/219 रकबा 8 बीघा, खं0नं0 127/3 रकबा 14 विस्वा गै0मु0 रास्ता, खं0नं0 129 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 129/224 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 129/266 रकबा 2 विस्वा, खं0नं0 133/1 रकबा 9 विस्वा, खं0नं0 133/2 रकबा 11 विस्वा, खं0नं0 270/129 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 273/130 रकबा 2 विस्वा किता 9 रकबा 13 बीघा 15 विस्वा "लाड़ादेवी पत्नि रणजीत हि0 1/90, सन्नूदेवी पुत्री रणजीत हि0 1/90, राकेश पुत्र रणजीत हि0 5/180" तथा खाता सं0 7 खं0नं0 151/1 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा "लाड़ादेवी पत्नि रणजीत, सन्नूदेवी पुत्री रणजीत, राकेश पुत्र रणजीत नाबालिक जरिये वली माता लाड़ादेवी पत्नि रणजीत हि0 1/2" है। उक्त सिजरा अनुसार स्व0 रणजीत के एक पुत्री अनिता व एक पुत्र राकेश हुये, रणजीत के स्वर्गवास बाद उसके छोड़ी हुयी कब्जें, काश्त व खातेदारी की आराजीयात क्रमशः लाड़ा पत्नि रणजीत, अनिता पुत्री रणजीत, राकेश पुत्र रणजीत नाबालिग जरिये वली माता लाड़ादेवी पत्नि रणजीत के नाम खोली जानी चाहिये थी किन्तु रणजीत के स्वर्गवास के बाद जो नामान्तकरण खोला गया वह लाड़ादेवी पत्नि रणजीत, सन्नू पत्नि रणजीत, राकेश पुत्र रणजीत नाबालिग जरिये वली माता लाड़ादेवी पत्नि रणजीत के नाम दर्ज कर दिया गया इस प्रकार फौती नामान्तकरण में वादीया के वास्तविक नाम अनिता की बजाय बोलता नाम सन्नू पुत्री रणजीत के नाम खोल दिया जबकि वादीया के पहचान पत्र, आधारकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र मार्कशीट आदि में अनिता चौधरी पुत्री रणजीत चौधरी दर्ज है। उक्त नामान्तकरण वादीया की नाबालिग अवस्था मे खोला गया था वादीया वर्तमान में बालिग है ओर समस्त शिक्षा रिकोर्ड, व सरकारी रेकार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड आदि में अनिता चौधरी दर्ज है अतः राजस्व रिकोर्ड में रणजीत की छोड़ी हुयी समस्त खातों की आराजीयात वर्णित परिशिष्ट सं0 1 लगा0 6 मे वर्णित आराजी में वादीया का नाम अनिता चौधरी पुत्री रणजीत की बजाय सन्नू पुत्री रणजीत दर्ज रहने से वादीया के हको का हनन हो रहा है ओर सरकारी सुविधाओं से वंचित रह रही है वादीया ने दिनांक 14.02.18 को पटवारी हल्का से कथित दुरूस्ती हेतु कहा तो सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी अतः यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्व प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र बोबास में पेश हुयी। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमे अंकित किया गया कि प्रार्थीया के शिक्षा प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र आधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम अनितादेवी पुत्री रणजीत व अनिता देवी व सन्नूदेवी एक ही व्यक्ति है स्व0 रणजीत के इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है अतः सन्नूदेवी पुत्री रणजीत के बजाय अनिता पुत्री रणजीत शुद्व किया जाना उचित है।

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

वकील वादीया ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खाता सं0 6, 7, 54, 55, 62, 38 वाकै ग्राम बस्सी झाझड़ा संवत् 2072–75, फोटो कॉपी मार्कशीट अनिता चौधरी मा0 शिक्षा बोर्ड 2005, फोटो कॉपी आधार कार्ड, फोटो कॉपी पहचान पत्र, प्रमाणित नकल नामान्तकरण पेश की है।

वकील वादीया ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीया का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं0 6, 7, 54, 55, 62, 38 वाकै ग्राम बस्सी झाझड़ा प0ह0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज सन्नू पुत्री रणजीत के स्थान पर सन्नू उर्फ अनिता चौधरी पुत्री रणजीत दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से क़म हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत क़ेम्प बोबास मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

अनिता बनाम तहसीलदार फुलेरा वगै०

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 23/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जगवीरसिंह सेवदा व हाजरी . ... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खाता सं० 6, 7, 54, 55, 62, 38 वाकै ग्राम बस्सी झाझड़ा प०ह० बोबास तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में दर्ज सन्नू पुत्री रणजीत के स्थान पर सन्नू उर्फ अनिता चौधरी पुत्री रणजीत दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। ....निज .... मुबलिग.. बाबत्........................ .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत............

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner